न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **59/2020**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

खेमा पिता हजारी कहार निवासी ढीकोला तह. शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. घीसू पिता शोभा लाल महाजन निवाासी ढीकोला
2. कलयाण पिता मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी ढीकोला
3. पप्पू पिता बन्ना जाट निवासी ढीकोला
4. केलाश चन्द्र पिता नन्दलाल महाजन(न्याति) निवासी ढीकोला
5. भूपेन्द्र पिता बालकिशन दरोगा निवासी ढीकोला
6. सत्तार पिता मिश्री मेवाती मुसलमान निवासी ढीकोला
7. महादेव पिता बन्ना जाट निवासी ढीकोला

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री योगेन्द्र सिंह भाटी**
अधिवक्ता प्रर्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **14/09/2020**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम ढिकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1088 रकबा 0.69 है0, 1102 रकबा 0.14 है0, 1548 रकबा 0.01 है0, 1549 रकबा 1.12 है0** कुल **किता 4** रकबा **1.96** हैक्टेयर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार /संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपरिथत नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम ढिकोला संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ढिकोला में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 4 रकबा 1.96 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी **ऑफ सीजन** में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 400/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **14/09/2020** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.19 17:26:52 IST
Reason: SelfAttested

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner